International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 01(I), January- March, 2025, pp. 21-24

रोजगार सृजन में मनरेगा के प्रभाव का विश्लेषणः चुरू जिले का एक अध्ययन

धन्ना राम जानू*
प्रो़ कृष्णा गुप्ता**

सार

स्वतंत्रता के पश्चात देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए सरकार द्वारा अनेक विकासपरक योजनाएं संचालित की गई। गरीबी निवारण एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों एवं केन्द्र सरकार ने बहुत प्रयास किए। ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के माध्यम से आजीविका सुरक्षा एवं गरीबी निवारण के लिए एक विशेष दीर्घकालीन प्रभाव वाला कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 जो फरवरी, 2006 से प्रारम्भ किया गया, एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजन, कार्यक्रम है। मनरेगा आज विश्व का सबसे बड़ा एवं अग्रणी रोजगार सृजन कार्यक्रम है। मनरेगा के तहत प्रत्येक रोजगार के इच्छुक ग्रामीण परिवार को सौ दिवस का शारीरिक श्रम पर आधारित रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। मनरेगा ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी निवारण, रोजगार सृजन एवं आजीविका सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग एवं पिछड़ों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में मनरेगा का सकारात्मक प्रभाव रहा है। प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के चुरू जिले से सम्बन्धित है। इस अध्ययन में चुरू जिले में रोजगार सृजन के सम्बन्ध में मनरेगा के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक संमकों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें प्रतिशत, कुल का औसत, तालिका विश्लेषण आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग संमक विश्लेषण हेतु किया गया है।

शब्दकोशः *मनरेगा, रोजगार, ग्रामीण, आर्थिक, सामाजिक, आजीविका।*

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के पश्चात देश का चहुँमुखी विकास करने के लिए सरकारों ने समय–समय पर अनेक विकासोन्मुख योजनाओं का संचालन किया। आजाद भारत की मुख्य समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान संकट, भुखमरी आदि थी। इसमें से मुख्यतः गरीबी और बेरोजगारी आज भी हमारा पिछा नहीं छोड़ रही है। देश में गरीबी के प्रतिशत में कमी आई है लेकिन गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। यही हाल बेरोजगारी का है। देश के अधिकांश हिस्से में युवा बेरोजगारी, खेती किसानी में मौसमी बेरोजगारी विद्यमान है। देश में बेरोजगारी के विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ रही है। देश की दो–तिहाई से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर उपलब्ध होते है।

* जी.एच.एस. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़, राजस्थान।
** विभागाध्यक्ष, आर्थिक प्रशसन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

केन्द्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी की दर में कमी करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा की शुरुआत फरवरी, 2006 से 200 जिलों के साथ की थी। वित्तीय वर्ष 2007–08 में इसे अतिरिक्त 130 जिलों में ओर प्रारम्भ किया गया। 1 अप्रेल, 2008 से मनरेगा सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहा है। महात्मा गाँधी नरेगा विश्व का अग्रणी रोजगार सृजन कार्यक्रम है। इस अधिनियम के लागु होने से ग्रामीण लोगों को काम का संवैधानिक अधिकार मिल गया है। मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार सौ दिवस के रोजगार की कानूनी गारण्टी का प्रावधान किया गया है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में कमी करना, गरीबी में कमी करना एवं लोगों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट 2015 में सम्पूर्ण विश्व में किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों में मनरेगा का उल्लेख किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा शारीरिक श्रम पर आधारित मजदूरी प्रदान करने वाला कार्यक्रम है।

मनरेगा के मुख्य प्रावधान

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम के मुख्य प्रावधान एवं विशेषताएं निम्न प्रकार से है –

- मनरेगा मांग पर आधारित रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यस्क जो शारीरिक श्रम करने का इच्छुक है काम की मांग के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। काम की मांग के 15 दिन के भीतर ग्राम–पंचायत द्वारा उसे काम उपलब्ध करवाया जाता है अन्यथा वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होता है।
- मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिवस का मजदूरी रोजेगार उपलब्ध करवाया जाता है। श्रमिकों को रोजगार उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध करवाया जाता है। दूरी अधिक होने पर श्रमिक यात्रा भत्ता का हकदार होता है।
- मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने के लिए पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत श्रमिकों को जॉब कार्ड जारी करता है। जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम, पते, उम्र आदि का उल्लेख होता है।
- महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्ति के 15 दिवस के भीतर किया जाता है। मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नगद नहीं करके उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। ताकि भुगतान में पारदर्शिता रहे एवं बिना किसी रिसाव के मजदूरों को समय पर भुगतान मिल सके। मजदूरी का भुगतान बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समयानुसार एवं कार्यानुसार गणना करके किया जाता है। अर्थात काम के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
- मनरेगा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गरीबों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्र में संचालन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। मनरेगा के संचालन से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती मिली है।
- मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर पर्याप्त छाया, पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्राथमिक उपचार सुविद्या आदि उपलब्ध करवायी जाती है।
- मनरेगा के अन्तर्गत रिसाव को रोकने एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस कार्यक्रम के संचालन से ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है। उनमें शिक्षा, चिकित्सा एवं पोषण के स्तर में सुधार हुआ है। मनरेगा के संचालन से गाँवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। कृषि कार्यों के साथ–साथ ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिलने से उनको आजीविका की सुरक्षा मिली है।

मनरेगा के अंतर्गत जल संचय संरचनाओं का विकास, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, पुराने तालाबों एवं अन्य जल संरचनाओं का नवीनिकरण, पशुओं के लिए शेड का निर्माण, ग्रामीण सार्वजनिक भवनों एवं सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण जैसे कार्य किए जाते है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण में मनरेगा सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण खेतीहर मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों एवं अल्प आय वर्ग के लोगों की आजीविका सुरक्षा में मनरेगा की सकारात्मक भूमिका है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान के चुरू जिलें में मनरेगा कार्यक्रम के संचालन के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। जिले में मनरेगा के संचालन से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन, लोगों की आजीविका सुरक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके साथ–साथ चुरू जिले में अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान में मनरेगा के प्रभाव का विश्लेषण करना है।

अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में मनरेगा पर उपलब्ध द्वितीयक संमको का उपयोग किया गया है। संमको का संकलन विभिन्न शोध आलेख, सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाईट एवं अन्य पत्र–पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। अध्ययन में संमको के विश्लेषण हेतु औसत प्रतिशत, संख्यात्मक एवं तालिकाओं में दर्शाया गया है।

चुरू जिले के मनरेगा की स्थिति एवं समीक्षा

भौगोलिक दृष्टि से चुरू, राजस्थान राज्य के उत्तर में हरियाण की सीमा से लगता हुआ जिला है। चूरू राज्य के मरूस्थलीय भाग में स्थित है। जिले की अधिसंख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है। जिले की अधिकतर कृषि मानसून पर निर्भर है। मरूस्थलीय स्थिति के कारण जिले में तापान्तर अत्यधिक रहता है। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से लोगों के आय स्तर में सुधार हुआ है। पिछड़ें व अल्प आय वर्ग के लोगों को मजदूरी रोजगार मिलने से आजीविका सुरक्षा प्राप्त हुई है।

जून, 2024 की स्थिति के अनुसार जिले के 7 ब्लॉक में मनरेगा कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। सम्पूर्ण जिले में इन 7 ब्लॉक के अन्तर्गत 304 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित है। जिले में मनरेगा योजना में जून, 2024 तक कुल 3 लाख 64 हजार जॉब कार्ड जारी किये गए है। मनरेगा के अन्तर्गत कुल श्रमिकों की संख्या 7 लाख 14 हजार है। कुल कार्यरत श्रमिकों की संख्या 3 लाख 66 हजार है जिसमें से अनुसूचित जाति के श्रमिकों का प्रतिशत 30.7 है एवं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का प्रतिशत 0.94 है। अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की भागीदारी में कमी का मुख्य कारण जिलें में इनकी न्यून जनसंख्या का होना है। जिले में कार्यरत अनुसूचित जाति के श्रमिकों की भागीदारी सकारात्मक एवं अच्छी है।

चुरू जिले में मनरेगा की प्रगति

रोजगार की स्थित	वित्तीय वर्ष			
	2023–24	2022–23	2021–22	2020–21
कुल श्रम दिवस में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	32.66	34.05	33.06	32.83
कुल श्रम दिवस में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	1.00	0.95	0.96	0.94
कुल श्रम दिवस में महिला श्रमिकों का प्रतिशत	64.17	63.5	60.54	58.92
सौ दिवस पूरे करने वाले परिवारों की संख्या	16284	9891	22530	35815
दिव्यांग श्रमिकों की संख्या	428	399	426	494
औसत मजदूरी दर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (रूपये)	181.64	174.76	162.7	146.26

स्त्रोत :– https:nrega.nic.in

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों में अनुसूचित जनजाति की भागीदारी नगण्य है जिसका मुख्य कारण जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कम होना है। इसके विपरित अनुसूचित जाति की भागीदारी अच्छी–खासी है। मनरेगा के तहत महिला श्रमिकों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ रही है जो एक अच्छा संकेत है। महिला श्रमिकों की भागीदारी औसतन 60 प्रतिशत से ऊपर है। जो महिलाओं की मनरेगा के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। जिले में महिला रोजगार का सकारात्मक प्रभाव रहा है। जिले में कोरोना काल में सौ दिवस का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की संख्या अच्छी है। जो कोरोना काल में मनरेगा की महत्ता को दर्शाता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर जिले में मनरेगा का प्रदर्शन ओर प्रभाव कमोबेस सकारात्मक रहा है। अनुसूचित जाति और महिला रोजगार में मनरेगा की उपलब्धि जिले में सकारात्मक है। विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिले में मनरेगा श्रमिकों की औसत मजदूरी दर काफी कम है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा का प्रभाव अच्छा है। ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान, रोजगार सृजन, कमजोर वर्ग की आजीविका सुरक्षा एवं महिलाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने में मनरेगा कार्यक्रम सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Singha, R. Rural Employment, Public Policy and COVID-19 Pandemic: A Study of Least Developed Districts of India.
2. Sharma, S. (2023). Evaluating the Effectiveness of MGNREGA in Haryana and Rajasthan: A Comparative Study. Bayan College International Journal of Multidisciplinary Research, 3(1), 47-57.
3. Anuverta, D. R. K. (2023). IMPACT OF MGNREGA ON RURAL DEVELOPMENT: A REVIEW. ACTA SCIENTIAE, 6(2), 393-405.
4. Taufique, M., Hoque, M. A., & Hasmi, M. R. K. (2023). Assessment of mgnrega scheme in employment generation, reducing rural poverty and rural-urban migration in India: An overview. International Journal of Research Publication and Reviews (IJRPR), 4(2), 809-818.
5. Kumar, D. V. K. D. S., & thakur, p. (2022). Impact of mgnrega on income and livelihood of rural people of himachal pradesh: a study of dharampur block.
6. Hajam, F. A., Rather, J. A., & Hajam, L. A. (2021). A Study on Evaluation of Mahathma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in Rural India: A State Level Analysis. The Journal of Oriental Research Madras, 92.
7. Rayappa, V. K., & Bavaiah, M. D. (2021). Study on Socioeconomic Impact of MGNREGA on Beneficiaries in Chikkaballapura District of Karnataka-India. Humanities, 9(2), 109-15.
8. Meena, R. N., & Meena, K. (2021). An analysis of MGNREGA in Jaipur District of Rajasthan.
9. Sathishkumar, R., Ramesh Kumar, K., Sivakumar, I., & Muthusami, S. (2020). MGNREGA"s impact on income and employment in seaweeds cultivating households: Pamban village of Ramanathapuram district. Journal of Critical Reviews, 7(8), 2149-2156.
10. Pattnaik, J. (2020). MGNREGA and its impact on livelihood and rural development: a sociological study in barwadag village of ranchi district of the state of Jharkhand. Man in Society, 38.

❖◆❖